رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ

मेहरबान है तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे जांच ही हैं[24] और अल्लाह के पास बड़ा

عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا

सवाब है[25] तो अल्लाह से डरो जहां तक हो सके[26] और फ़रमान सुनो और हुक्म मानो[27] और अल्लाह की राह में ख़र्च करो

خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾

अपने भले को और जो अपनी जान की लालच से बचाया गया[28] तो वोही फ़लाह पाने वाले हैं

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ

अगर तुम अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दोगे[29] वोह तुम्हारे लिये उस के दूने कर देगा और तुम्हें बख़्श देगा और अल्लाह

ع ٢ ١٢ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

क़द्र फ़रमाने वाला हिल्म वाला है हर निहां और इयां का जानने वाला इज़्ज़त वाला हिक्मत वाला

اٰياتها ١٢ | ٦٥ سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ ٩٩ | رکوعاتها ٢

सूरए तलाक़ मदनिय्या है, इस में बारह आयतें और दो रुकूअ़ हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़्म वाला[1]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا

ऐ नबी[2] जब तुम लोग औरतों को तलाक़ दो तो उन की इद्दत के वक़्त पर उन्हें तलाक़ दो और इद्दत

الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

का शुमार रखो[3] और अपने रब अल्लाह से डरो इद्दत में उन्हें उन के घरों से न निकालो और न वोह आप निकलें[4]

फ़क़ीह हो गए हैं, येह देख कर उन्हों ने अपनी बीबी बच्चों को सज़ा देने का इरादा किया और येह क़स्द किया कि उन का ख़र्च बन्द कर दें क्यूं कि वोही लोग उन्हें हिजरत से मानेअ़ हुए थे जिस का येह नतीजा हुवा कि हुज़ूर के साथ हिजरत करने वाले अस्ह़ाब इल्म व फ़िक़्ह में उन से मन्ज़िलों आगे निकल गए, इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें अपने बीबी बच्चों से दर गुज़र करने और मुआफ़ करने की तरग़ीब फ़रमाई गई, चुनान्चे आगे इर्शाद फ़रमाया जाता है : 24 : कि कभी आदमी इन की वज्ह से गुनाह और मा'सियत में मुब्तला हो जाता है और इन में मश्ग़ूल हो कर उमूरे आख़िरत के सर अन्जाम से ग़ाफ़िल हो जाता है। 25 : तो लिहाज़ रखो ऐसा न हो कि अम्वाल व औलाद में मश्ग़ूल हो कर सवाबे अ़ज़ीम खो बैठो। 26 : या'नी ब क़द्रे अपनी वुस्अ़त व ताक़त के ताअ़त व इबादत बजा लाओ येह तफ़्सीर है "اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ" की 27 : अल्लाह तआ़ला और उस के रसूल صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم का 28 : और उस ने अपने माल को इत्मीनान के साथ हुक्मे शरीअ़त के मुताबिक़ ख़र्च किया 29 : या'नी ख़ुशदिली से नेक निय्यती के साथ माले ह़लाल से सदक़ा दोगे, सदक़ा देने को बराहे लुत्फ़ो करम क़र्ज़ से ता'बीर फ़रमाया, इस में सदक़े की तरग़ीब है कि सदक़ा देने वाला नुक़्सान में नहीं है बिल यक़ीन इस की जज़ा पाएगा। 1 : सूरए तलाक़ मदनिय्या है, इस में दो 2 रुकूअ़, बारह 12 आयतें और दो सो उन्चास 249 कलिमे और

www.dawateislami.net

اِلَّاۤ اَنْ یَّاْتِیْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِؕ وَ مَنْ یَّتَعَدَّ

मगर येह कि कोई सरीह़ बे ह़याई की बात लाएं[5] और येह **अल्लाह** की ह़दें हैं और जो **अल्लाह** की ह़दों

حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗؕ لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ

से आगे बढ़ा बेशक उस ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया तुम्हें नहीं मा'लूम शायद **अल्लाह** इस के बा'द कोई

ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ

नया हुक्म भेजे[6] तो जब वोह अपनी मीआ़द तक पहुंचने को हों[7] तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो या

فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ

भलाई के साथ जुदा कर दो[8] और अपने में दो सिक़ह को गवाह कर लो और **अल्लाह** के लिये गवाही

لِلّٰهِؕ ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ۬ؕ وَ مَنْ

क़ाइम करो[9] इस से नसीह़त फ़रमाई जाती है उसे जो **अल्लाह** और पिछले दिन पर ईमान रखता हो[10] और जो

एक हज़ार साठ 1060 ह़र्फ़ हैं। **2 :** अपनी उम्मत से फ़रमा दीजिये **3 शाने नुज़ूल :** येह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के ह़क़ में नाज़िल हुई, उन्हों ने अपनी बीबी को औ़रतों के अय्यामे मख़्सूसा में त़लाक़ दी थी। सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم ने उन्हें हुक्म दिया कि रज्अ़त करें, फिर अगर त़लाक़ देना चाहें तो तुह्र या'नी पाकी के ज़माने में त़लाक़ दें, इस आयत में औ़रतों से मुराद मदख़ूल बिहा औ़रतें हैं (जो अपने शोहरों के पास गई हों) सग़ीरा, ह़ामिला और आइसा न हों (आइसा वोह औ़रत है जिस के अय्याम बुढ़ापे की वज्ह से बन्द हो गए हों उन का वक़्त न रहा हो) **मस्अला :** ग़ैर मदख़ूल बिहा पर इ़द्दत नहीं है बाक़ी तीनों क़िस्म की औ़रतें जो ज़िक्र की गई थीं उन्हें अय्याम नहीं होते तो उन की इ़द्दत हैज़ से शुमार न होगी। **मस्अला :** ग़ैर मदख़ूल बिहा को हैज़ में त़लाक़ देना जाइज़ है। आयत में जो हुक्म दिया गया इस से मुराद ऐसी मदख़ूल बिहा औ़रतें हैं जिन की इ़द्दत हैज़ से शुमार की जाए उन्हें त़लाक़ देना हो तो ऐसे तुह्र में त़लाक़ दें जिस में उन से जिमाअ़ न किया गया हो, फिर इ़द्दत गुज़रने तक उन से तअ़र्रुज़ न करें इस को **त़लाक़े अह़सन** कहते हैं, **त़लाक़े ह़सन** ग़ैर मौतूअह औ़रत या'नी जिस से शोहर ने क़ुरबत न की हो उस को एक त़लाक़ देना त़लाक़े ह़सन है ख़्वाह येह त़लाक़ हैज़ में हो और मौतूअह औ़रत अगर साह़िबे हैज़ हो तो उसे तीन त़लाक़ें ऐसे तीन तुह्रों में देना जिन में उस से क़ुरबत न की हो त़लाक़े ह़सन है और अगर मौतूअह साह़िबे हैज़ न हो तो उस को तीन त़लाक़ें तीन महीनों में देना त़लाक़े ह़सन है, **त़लाक़े बिद्ई** ह़ालते हैज़ में त़लाक़ देना या ऐसे तुह्र में त़लाक़ देना जिस में क़ुरबत की गई हो त़लाक़े बिद्ई है, ऐसे ही एक तुह्र में तीन या दो त़लाक़ें यकबारगी या दो मरतबा में देना त़लाक़े बिद्ई है अगर्चे इस तुह्र में वत़ी न की गई हो। **मस्अला :** त़लाक़े बिद्ई मकरूह है मगर वाक़ेअ़ हो जाती है और ऐसी त़लाक़ देने वाला गुनहगार होता है। **4 मस्अला :** औ़रत को इ़द्दत शोहर के घर पूरी करनी लाज़िम है, न शोहर को जाइज़ कि मुत़ल्लक़ा को इ़द्दत में घर से निकाले, न उन औ़रतों को वहां से ख़ुद निकलना रवा **5 :** उन से कोई फ़िस्क़े ज़ाहिर सादिर हो जिस पर ह़द आती है मिस्ल ज़िना और चोरी के इस के लिये उन्हें निकालना ही होगा। **मस्अला :** अगर औ़रत फ़ोह़्श बके और घर वालों को ईज़ा दे तो उस को निकालना जाइज़ है क्यूं कि वोह नाशिज़ा (ना फ़रमान) के हुक्म में है। **मस्अला :** जो औ़रत त़लाक़े रज्ई या बाइन की इ़द्दत में हो उस को घर से निकलना बिल्कुल जाइज़ नहीं और जो मौत की इ़द्दत में हो वोह ह़ाजत पड़े तो दिन में निकल सकती है लेकिन शब गुज़ारना उस को शोहर के घर ही में ज़रूरी है। **मस्अला :** जो औ़रत त़लाक़े बाइन की इ़द्दत में हो उस के और शोहर के दरमियान पर्दा ज़रूरी है और ज़ियादा बेहतर येह है कि कोई और औ़रत उन दोनों के दरमियान ह़ाइल हो। **मस्अला :** अगर शोहर फ़ासिक़ हो या मकान बहुत तंग हो तो शोहर को उस मकान से चला जाना बेहतर है। **6 :** रज्अ़त का **7 :** या'नी इ़द्दत आख़िर (ख़त्म) होने के क़रीब हो **8 :** या'नी तुम्हें इख़्तियार है अगर तुम उन के साथ ब हुस्ने मुआ़शरत व मुराफ़क़त रहना चाहो तो रज्अ़त कर लो और दिल में फिर दोबारा त़लाक़ देने का इरादा न रखो और अगर तुम्हें उन के साथ ख़ूबी से बसर कर सकने की उम्मीद न हो तो महर वग़ैरा उन के ह़क़ अदा कर के उन से जुदाई कर लो और उन्हें ज़रर न पहुंचाओ इस त़रह़ कि आख़िर इ़द्दत में रज्अ़त कर लो फिर त़लाक़ दे दो और इस त़रह़ उन्हें उन की इ़द्दत दराज़ कर के परेशानी में डालो ऐसा न करो और ख़्वाह रज्अ़त करो या फ़ुर्क़त इख़्तियार करो दोनों सूरतों में दफ़्ए़ तोहमत और रफ़्ए़ निज़ाअ़ के लिये दो मुसल्मानों को गवाह कर लेना मुस्तह़ब है, चुनान्चे इर्शाद होता है : **9 :** मक़्सूद इस से उस की रिज़ाजूई हो और इक़ामते ह़क़ व ता'मीले हुक्मे इलाही के सिवा अपनी कोई फ़ासिद ग़रज़ इस में न हो। **10 मस्अला :** इस से इस्तिदलाल किया जाता है कि

www.dawateislami.net

يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ﴿۲﴾ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ

अल्लाह से डरे[11] अल्लाह उस के लिये नजात की राह निकाल देगा[12] और उसे वहां से रोज़ी देगा जहां उस का गुमान न हो

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ

और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वोह उसे काफ़ी है[13] बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने

اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ

हर चीज़ का एक अन्दाज़ा रखा है और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद न रही[14] अगर

ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ

तुम्हें कुछ शक हो[15] तो उन की इद्दत तीन महीने है और उन की जिन्हें अभी हैज़ न आया[16] और हम्ल वालियों

اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ

की मीआ़द येह है कि वोह अपना हम्ल जन लें[17] और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उस के काम में आसानी

يُسْرًا ﴿۴﴾ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ

फ़रमा देगा येह[18] अल्लाह का हुक्म है कि उस ने तुम्हारी त़रफ़ उतारा और जो अल्लाह से डरे[19] अल्लाह उस की बुराइयां

سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ﴿۵﴾ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ

उतार देगा और उसे बड़ा सवाब देगा औरतों को वहां रखो जहां ख़ुद रहते हो अपनी

कुफ़्फ़ार शराएअ़ व अह़काम के साथ मुख़ात़ब नहीं। **11 :** और त़लाक़ दे तो त़लाक़े सुन्नी दे और मो'तद्दा (इद्दत वाली) को ज़रर न पहुंचाए न उसे मस्कन (घर) से निकाले और ह़स्बे हुक्मे इलाही मुसल्मानों को गवाह कर ले। **12 :** जिस से वोह दुन्या व आख़िरत के ग़मों से ख़लास पाए और हर तंगी और परेशानी से महफ़ूज़ रहे, सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم से मरवी है कि जो शख़्स इस आयत को पढ़े अल्लाह तआ़ला उस के लिये शुबुहाते दुन्या ग़मराते मौत व शदाइदे रोज़े क़ियामत से ख़लास की राह निकालेगा और इस आयत की निस्बत सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने येह भी फ़रमाया कि मेरे इ़ल्म में एक ऐसी आयत है जिसे लोग महफ़ूज़ कर लें तो उन की हर ज़रूरत व हाजत के लिये काफ़ी है। **शाने नुज़ूल :** औ़फ़ बिन मालिक के फ़रज़न्द को मुश्रिकीन ने क़ैद कर लिया तो औ़फ़ नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और उन्हों ने येह भी अ़र्ज़ किया कि मेरा बेटा मुश्रिकीन ने क़ैद कर लिया है और इसी के साथ अपनी मोहताजी व नादारी की शिकायत की, सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का डर रखो और सब्र करो और कसरत से "لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" पढ़ते रहो, औ़फ़ ने घर आ कर अपनी बीबी से येह कहा और दोनों ने पढ़ना शुरूअ़ किया, वोह पढ़ ही रहे थे कि बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया, दुश्मन ग़ाफ़िल हो गया था उस ने मौक़अ़ पाया क़ैद से निकल भागा और चलते हुए चार हज़ार बकरियां भी दुश्मन की साथ ले आया औ़फ़ ने ख़िदमते अक़्दस में ह़ाज़िर हो कर दरयाफ़्त किया कि क्या येह बकरियां इन के लिये ह़लाल हैं? हुज़ूर ने इजाज़त दी और येह आयत नाज़िल हुई। **13 :** दोनों जहान में। **14 :** बूढ़ी हो जाने की वज्ह से कि वोह सिने अयास को पहुंच गई हों। सिने अयास एक क़ौल में पचपन और एक क़ौल में साठ साल की उ़म्र है और असह़्ह़ येह है कि जिस उ़म्र में भी हैज़ मुन्क़त़िअ़ हो जाए वोही सिने अयास है। **15 :** इस में कि उन का हुक्म क्या है। **शाने नुज़ूल :** सह़ाबा ने रसूले करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم से अ़र्ज़ किया कि हैज़ वाली औ़रतों की इद्दत तो हमें मा'लूम हो गई जो हैज़ वाली न हों उन की इद्दत क्या है, इस पर येह आयत नाज़िल हुई। **16 :** या'नी वोह सग़ीरा हैं या उ़म्र तो बुलूग़ की आ गई मगर अभी हैज़ न शुरूअ़ हुवा उन की इद्दत भी तीन माह है। **17 मस्अला :** ह़ामिला औ़रतों की इद्दत वज़्ए़ ह़म्ल है ख़्वाह वोह इद्दत त़लाक़ की हो या वफ़ात की। **18 :** अह़काम जो मज़्कूर हुए **19 :** और अल्लाह तआ़ला के नाज़िल फ़रमाए हुए अह़काम

www.dawateislami.net

وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ

ताक़त भर[20] और उन्हें ज़रर न दो कि उन पर तंगी करो[21] और अगर[22] ह़म्ल वालियां

حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ

हों तो उन्हें नान नफ़क़ा दो यहां तक कि उन के बच्चा पैदा हो[23] फिर अगर वोह तुम्हारे लिये बच्चे को दूध पिलाएं

فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ

तो उन्हें इस की उजरत दो[24] और आपस में मा'क़ूल तौ़र पर मश्वरा करो[25] फिर अगर बाहम मुज़ायक़ा करो (दुश्वार समझो)[26]

فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝٦ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ

तो क़रीब है कि उसे और दूध पिलाने वाली मिल जाएगी मक़्दूर वाला[27] अपने मक़्दूर के क़ाबिल नफ़क़ा दे और जिस पर

عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ

उस का रिज़्क़ तंग किया गया वोह उस में से नफ़क़ा दे जो उसे अल्लाह ने दिया अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी क़ाबिल

اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ ع ١٧

जितना उसे दिया है क़रीब है कि अल्लाह दुश्वारी के बा'द आसानी फ़रमा देगा[28] और कितने ही शहर थे जिन्हों ने अपने रब के

عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا

हुक्म और उस के रसूलों से सरकशी की तो हम ने उन से सख़्त ह़िसाब लिया[29] और उन्हें बुरी

نُّكْرًا ۝٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩ اَعَدَّ

मार दी[30] तो उन्हों ने अपने किये का वबाल चखा और उन के काम का अन्जाम घाटा हुवा अल्लाह ने

पर अ़मल करे और अपने ऊपर जो हुक़ूक़ वाजिब हैं उन्हें ब एहतियात़ अदा करे **20 मस्अला :** त़लाक़ दी हुई औ़रत को ता इद्दत रहने के लिये अपने हस्बे ह़ैसिय्यत मकान देना शोहर पर वाजिब है और इस ज़माने में नफ़क़ा देना भी वाजिब है। **21 :** जगह में उन के मकान को घेर कर या किसी ना मुवाफ़िक़ को उन के शरीके मस्कन कर के या और कोई ऐसी ईज़ा दे कर कि वोह निकलने पर मजबूर हों। **22 :** वोह मुत़ल्लक़ात **23 :** क्यूं कि उन की इद्दत जब ही तमाम होगी। **मस्अला :** नफ़क़ा जैसा ह़ामिला को देना वाजिब है ऐसा ही ग़ैरे ह़ामिला को भी, ख़्वाह उस को त़लाक़े रज्ई दी हो या बाइन। **24 मस्अला :** बच्चे को दूध पिलाना मां पर वाजिब नहीं बाप के ज़िम्मे है कि उजरत दे कर दूध पिलवाए लेकिन अगर बच्चा मां के सिवा किसी और औ़रत का दूध न पिये या बाप फ़क़ीर हो इस ह़ालत में मां पर दूध पिलाना वाजिब हो जाता है, बच्चे की मां जब तक उस के बाप के निकाह़ में हो या त़लाक़े रज्ई की इद्दत में ऐसी ह़ालत में उस को दूध पिलाने की उजरत लेना जाइज़ नहीं बा'दे इद्दत जाइज़ है। **मस्अला :** किसी औ़रत को मुअ़य्यन उजरत पर दूध पिलाने के लिये मुक़र्रर करना जाइज़ है। **मस्अला :** ग़ैर औ़रत की ब निस्बत उजरत पर दूध पिलाने की मां ज़ियादा मुस्तह़िक़ है। **मस्अला :** अगर मां ज़ियादा उजरत त़लब करे तो फिर ग़ैर ज़ियादा औला। **मस्अला :** दूध पिलाई पर बच्चे को नहलाना उस के कपड़े धोना उस के तेल लगाना उस की ख़ूराक का इन्तिज़ाम रखना लाज़िम है लेकिन इन सब चीज़ों की क़ीमत उस के वालिद पर है। **मस्अला :** अगर दूध पिलाई ने बच्चे को बजाए अपने बकरी का दूध पिलाया या खाने पर रखा तो वोह उजरत की मुस्तह़िक़ नहीं। **25 :** न मर्द औ़रत के ह़क़ में कोताही करे न औ़रत मुआ़मले में सख़्ती। **26 :** मसलन मां ग़ैर औ़रत के बराबर उजरत पर राज़ी न हो और बाप ज़ियादा देना न चाहे **27 :** मुत़ल्लक़ा औ़रतों को और दूध पिलाने वाली औ़रतों को **28 :** या'नी तंगिये मआ़श के बा'द। **29 :** इस से ह़िसाबे आख़िरत मुराद है जिस का वुक़ूअ़

www.dawateislami.net

مع
اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ۚۖ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ

उन के लिये सख़्त अ़ज़ाब तय्यार कर रखा है तो **अल्लाह** से डरो ऐ अ़क़्ल वालो वोह जो ईमान लाए हो

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

बेशक **अल्लाह** ने तुम्हारे लिये इ़ज़्ज़त उतारी है वोह रसूल[31] कि तुम पर **अल्लाह** की रोशन आयतें

مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى

पढ़ता है ताकि उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किये[32] अंधेरियों से[33] उजाले की त़रफ़

النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

ले जाए और जो **अल्लाह** पर ईमान लाए और अच्छा काम करे वोह उसे बाग़ों में ले जाएगा

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿١١﴾ اَللّٰهُ

जिन के नीचे नहरें बहें जिन में हमेशा हमेशा रहें बेशक **अल्लाह** ने उस के लिये अच्छी रोज़ी रखी[34] **अल्लाह** है

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ

जिस ने सात आस्मान बनाए[35] और उन्ही के बराबर ज़मीनें[36] हुक्म इन के दरमियान उतरता

بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ

है[37] ताकि तुम जान लो कि **अल्लाह** सब कुछ कर सकता है और **अल्लाह** का इ़ल्म

ع ١٨ ٢
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

हर चीज़ को मुह़ीत़ है

اٰياتها ١٢ — ٦٦ سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ ١٠٧ — ركوعاتها ٢

सूरए तह़रीम मदनिय्या है, इस में बारह आयतें और दो रुकूअ़ हैं

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ़ जो निहायत मेहरबान रह़्म वाला[1]

यक़ीनी है इस लिये सीग़ए माज़ी से इस की ता'बीर फ़रमाई गई । **30 :** अ़ज़ाबे जहन्नम की या दुन्या में क़ह़त़ व क़त्ल वग़ैरा बलाओं में मुब्तला कर के **31 :** या'नी वोह इ़ज़्ज़त रसूले करीम मुह़म्मद मुस्त़फ़ा صلى الله تعالى عليه وسلم हैं **32 :** कुफ़्र व जहल की **33 :** ईमान व इ़ल्म के **34 :** जन्नत जिस की ने'मतें हमेशा बाक़ी रहेंगी कभी मुन्क़त़अ़ न होंगी । **35 :** एक के ऊपर एक हर एक की मोटाई पांच सो बरस की राह और हर एक का दूसरे से फ़ासिला पांच सो बरस की राह । **36 :** या'नी सात ही ज़मीनें । **37 :** या'नी **अल्लाह** तआ़ला का हुक्म इन सब में जारी व नाफ़िज़

www.dawateislami.net